

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.ए-300028 / 2016

संस्थित दिनांक-17.06.16

1. जयसिंह, उम्र-55 वर्ष, पिता पंचमसिंह, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम अहमदपुर, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट,
 2. रायसिंह, उम्र-52 वर्ष, पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-वार्ड नं-1, बिंझिया तिराहा, मण्डला, तह. व जिला मण्डला,
 3. ज्ञानवती उम्र-50 वर्ष, पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम गोवारी, तह. बैहर, जिला बालाघाट,
 4. मानसिंह, उम्र-48 वर्ष, पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम अहमदपुर, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट,
 5. मुन्नीबाई, उम्र-42 वर्ष, पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम रत्नाटोला(गोवारी) तह. बैहर, जिला बालाघाट,
 6. ज्ञानसिंह, उम्र-45 वर्ष, पिता पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम अहमदपुर, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट,
 7. सोहबतबाई, उम्र-70 वर्ष, पति पिता हंसराम, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम अहमदपुर, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट,
-वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1. धनसिंह, उम्र-67 वर्ष, पिता साखू, जाति गोंड,
 2. गंगाराम, उम्र-60 वर्ष, पिता साखू, जाति गोंड,
 3. धूरपताबाई, उम्र-50 वर्ष, पति मानसिंह, जाति गोंड,
 4. जैयपाल, उम्र-35 वर्ष, पिता मानसिंह, जाति गोंड,
 5. शशीकला, उम्र-33 वर्ष, पिता मानसिंह, जाति गोंड,
 6. तीजोबाई, उम्र-52 वर्ष, पति मनीराम, जाति गोंड, (फौत, विलोपित)
 7. संतोष, उम्र-33 वर्ष, पिता मनीराम, जाति गोंड,
 8. मुंगीवती, उम्र-58 वर्ष, पिता साखू, जाति गोंड,
- क.1, 2, 3, 4, 5 एवं 8 निवासी-ग्राम अहमदपुर
एवं क. 6 एवं 7 निवासी-ग्राम लोटमारा, तह. परसवाड़ा,
जिला बालाघाट म.प्र.
9. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट
-प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-18.12.2017 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि के स्वत्व घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र के पैरा-2 में उनके वंशवृक्ष का उल्लेख किया है। विवादित भूमि मूल पुरुष दानी की थी, जिसके लॉऔलाद फौत होने के कारण उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी झुन्नीबाई के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी। दानी एवं झुन्नीबाई की कोई संतान नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपनी संपूर्ण भूमि झुन्नीबाई के भाई सोमा के पुत्र पंचम एवं हंसराम को दे दी थी, जिस पर वह शामिल-सरीक कास्त करते थे। इस कारण झुन्नीबाई की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि पंचम व हंसराम के नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुई थी। वादपत्र के पैरा-3 में वादीगण की खानदानी भूमि का उल्लेख है। उक्त खानदानी भूमि पर वह अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के पास कोई भूमि नहीं होने के कारण वादीगण की खानदानी भूमि में से लगभग ढाई-तीन एकड़ भूमि ख.नं. 133/2 एवं 136 की भूमि को प्रतिवादीगण अधिया-ठेका में कास्त करते थे, जिसके बदले वादीगण को कुछ राशि दिया करते थे। प्रतिवादीगण के परिवार से वादीगण के अच्छे संबंध थे, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को कभी कास्त करने से मना नहीं किया था और न ही उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों के संबंध में कोई जांच पड़ताल की थी। लगभग एक वर्ष पूर्व वादीगण को जानकारी हुई थी कि वादीगण जिस भूमि पर प्रतिवादीगण कास्त करते हैं, वह भूमि उनके नाम से रिकार्ड में दर्ज हो गई है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को राशि देने से मना कर दिया था। वर्ष 2015 में प्रतिवादीगण ने जो फसल लगाई थी, उसकी राशि भी प्रतिवादीगण ने देने से मना कर दिया था।

3. वादीगण ने उनके वादपत्र में यह भी बताया है कि उन्होंने विवादित भूमि के सीमांकन के लिए तहसील न्यायालय में आवेदनपत्र पेश किया था, तब वादीगण को दिनांक-10.01.2016 को जानकारी हुई थी कि प्रतिवादीगण ने वादीगण की ख.नं. 136 रकबा 5.39ए. भूमि में से 3.50ए. भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा ली हैं, जिसका ख.नं. चकबंदी के बाद ख.नं. 111 रकबा 3.50 ए. दर्ज हुआ था, उक्त भूमि विवादग्रस्त भूमि है। वादीगण के वादपत्र की कंडिका-2 में वर्णित भूमि चकबंदी के पश्चात् ख.नं. 50 रकबा 0.28, ख.नं. 76 रकबा 0.20 एवं ख.नं. 110 रकबा 17.45 ए. के रूप में दर्ज हो गई है। प्रतिवादीगण ने बिना किसी हक, अधिकार के वादीगण की खानदानी भूमि ख.नं. 136 में से 3.50ए. भूमि अपने नाम से दर्ज करा ली है, जो वर्तमान में ख.नं. 111 रकबा 3.50 ए. प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रति.क्र-1 लगा. 5 तथा प्रति.क्र. 7 एवं 8 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर विशिष्ट कथन में बताया है कि विवादित भूमि ख.नं. 111 रकबा 3.50ए. भूमि प.ह. नं. 2/5 मौजा अहमदपुर, रा.नि.मं. परसवाड़ा, तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट में स्थित है, जो प्रति.क्र. 1 लगा. 8 के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। विवादित भूमि पैतृक भूमि है, जो कि प्रतिवादीगण के पूर्वज साखू के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। साखू की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कार्यवाही किये जाने के कारण वर्तमान में राजस्व प्रलेखों में विवादित भूमि पर उनका नाम दर्ज है। यदि राजस्व प्रलेखों में विधि-विरुद्ध तरीके से राजस्व अधिकारी से सांठ-गांठ कर प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अपने नाम की प्रविष्टि कराई गई हो तो प्रस्तुत वादपत्र में संशोधन पंजी को चुनौती देते हुए आवश्यक कथनों का लेख किया जाना न्यायोचित था। वादीगण के ज्ञान में विवादित भूमि मूल पुरुष साखू की पैतृक संपत्ति है, जो बाद में उनके वंशज प्रतिवादीगण को अंतरित की गई है। वादीगण ने उनके वादपत्र में यह बताया है कि प्रतिवादीगण अधिया-ठेका पर विवादित भूमि पर कास्त करते थे। जबकि अधिया एवं ठेका अपना अलग-अलग अर्थ रखते हैं, यदि अधिया पर विवादित भूमि कास्त की गई होती तो आधी फसल वादीगण को दी जाती, यदि ठेका पर उक्त भूमि पर कास्त की जाती तो निर्धारित राशि के एवज में कास्त की जाती। वादीगण द्वारा अधिया एवं ठेका से संबंधित स्थिति स्पष्ट कर इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही समय अवधि का लेख किया है। वादीगण ने विवादित भूमि ख.नं. 111 रकबा 3.50 ए. भूमि से 0.580 हे. भूमि पर अवैध कब्जा किया है। उक्ताशय की पुष्टि दिनांक-12.06.16 की सीमांकन पंचनामा एवं दिनांक-30.06.16 के सीमांकन प्रतिवेदन से होती है। प्रति.क्र-1 लगा. 5 तथा प्रति.क्र. 7 एवं 8 ने उनका प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर उनके विशिष्ट कथन में बताया है कि भूमि ख.नं. 111 रकबा 3.50ए. भूमि मौजा अहमदपुर प.ह.नं. 2/5 में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति जिसे प्रतिवादीगण को अधिया ठेका में कास्त करने के लिए वादीगण के पूर्वजों के समय से दी जाती रही है। उसकी आड़ में यदि प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपना नाम उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवाया गया हो तो उससे प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का स्वत्व प्राप्त नहीं होता है एवं किसी भी प्रकार की प्रविष्टि वादीगण पर बंधनकारक नहीं है एवं कोई

भी प्रविष्टि प्रभावशून्य घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण ने उनके प्रतिदावा में सीमांकन रिपोर्ट को आधार बनाकर वादग्रस्त भूमि से वादीगण के कब्जे को बेदखल करने की याचना चाही है। जिस सीमांकन रिपोर्ट का प्रतिवादीगण द्वारा उनके प्रतिदावे में कथन किये हैं, उसकी जानकारी वादीगण को नहीं है। सीमांकन रिपोर्ट वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की पैतृक भूमि को हड़पने के लिए झूठा प्रतिदावा पेश किया गया है।

6. प्रकरण में प्रति.क.-9 दिनांक-19.07.2016 को एकपक्षीय हुआ है। इस कारण प्रति.क.-9 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

7. प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गए थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए हैं।

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त संपत्ति मौजा अहमदपुर, प. ह.नं. 2/5 पुराना ख.नं. 136 वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.50 एकड़ भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति होने से वे इसके स्वामी घोषित किया जा सकते हैं ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति होने से वे इसके स्वामी घोषित किये जाने चाहिए ?	“प्रमाणित”
3	क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?	“प्रमाणित नहीं”
4	क्या वादीगण द्वारा विधि-विरुद्ध रूप से विवादित भूमि पर कब्जा किया गया है ?	“प्रमाणित”
5	क्या राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण का इंड्राज विधि-विरुद्ध होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है ?	“प्रमाणित नहीं”
6	सहायता एवं खर्च ?	वादीगण का वादपत्र निरस्त किया गया है एवं प्रति.क.-1 लगा. 5 तथा प्रति.क. 7, 8 एवं प्रति.क. 6 के वारसान का प्रतिदावा स्वीकार किया गया।

वादप्रश्न क.-1 लगा. 5 का निराकरण:-

8. वादप्रश्न क.1 लगा. 5 एक-दूसरे से संबंधित हैं। साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. वादीगण ने जयसिंह वा.सा.1, सवनू वा.सा.2, नान्दूसिंह वा.सा.3 के मुख्यपरीक्षण की साक्ष्य के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं, परंतु वादीगण ने उक्त साक्षीगण को प्रकरण में प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं किया था। इस कारण उक्त साक्षीगण के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य को प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है। वादीगण प्रकरण में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

10. प्रकरण में वादीगण ने लिखित तर्क प्रस्तुत की है कि वादीगण की संपूर्ण लिखित तर्क का मनन किया गया।

11. धनसिंह मेरावी प्र.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि भूमि ख.नं. 111 रकबा 1.416 हे./3.50 ए. भूमि प.हं.नं. 2/5 मौजा अहमदपुर रा.नि.मं. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि प्रतिक.1 लगा. 8 के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक हक से प्राप्त भूमि है, जो प्रतिवादीगण के पूर्वज साखू के नाम पर दर्ज थी। साखू की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण उनके वारसान हैं। विवादित भूमि पर साखू के नाम पर नामांतरण की कार्यवाही होने के पश्चात् उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ है। उक्त साक्षी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमांकन के लिए तहसीलदार परसवाड़ा के न्यायालय में आवेदनपत्र दिया था। उसके आधार पर तहसीलदार परसवाड़ा ने दिनांक-05.01.16 को सीमांकन का आदेश दिया था। उक्त आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा दिनांक-12.06.2006 को मौके पर जाकर विवादित भूमि के सीमांकन की कार्यवाही की थी। विवादित भूमि के सीमांकन के समय वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.580 हे. भूमि पर वादी जयसिंह, ज्ञानसिंह का कब्जा पाया था। उक्त सीमांकन की कार्यवाही को वादीगण द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। सीमांकन दिनांक को मौके पर उपस्थिति के लिए सूचनापत्र की तामीली कराई गई थी। सीमांकन कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर से वादीगण विवादग्रस्त भूमि को हड़पना चाहते हैं। वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व प्रलेखों में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है, इस कारण वादीगण से वादग्रस्त भूमि में से रकबा 0.580 हे. भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण ने उनकी साक्ष्य के समर्थन में प्रदर्श डी-1 लगा. 9 एवं प्रदर्श डी-11 लगा. 12 के राजस्व दस्तावेज

प्रस्तुत किये हैं एवं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा की बी.पी.एल. सर्वे की सूची की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-10 प्रस्तुत की है।

12. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 1964-65 के अधिकार अभिलेख प्रदर्श डी-6 में भूमि सर्वे क्र. 111 रकबा 3.50 ए. भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज साखू के नाम पर दर्ज थी। प्रदर्श डी-7 की दिनांक-26.03.99 की संशोधन पंजी के द्वारा उक्त भूमि मृतक साखू की पत्नी दुरपताबाई की मृत्यु होने के कारण उसके वारसान प्रति.क्र.1, 2, 8 एवं उक्त प्रतिवादीगण के मृतक भाई मानसिंह एवं मनीराम के नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श डी-8 की ऋण पुस्तिका में विवादग्रस्त भूमि दुरपताबाई के जीवनकाल में उसके एवं उसके पुत्र-पुत्रियों के नाम पर दर्ज हुई थी। दुरपताबाई एवं उसके पुत्र मानसिंह, मनीराम की मृत्यु के कारण मानसिंह की पत्नी प्रति.क्र.3 एवं पुत्र प्रति.क्र.4 एवं पुत्री प्रति.क्र.5 एवं मनीराम की पत्नी मृतक प्रति.क्र.6 एवं पुत्र प्रति.क्र.7 एवं पुत्री प्रति.क्र.8 के नाम पर दर्ज हुई थी।

13. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श डी-4 के वर्ष 2015-16 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्र. 111 रकबा 1.416 हे. भूमि प्रति.क्र. 1, 2, 8 एवं उक्त प्रतिवादीगण के भाई मानसिंह, मनीराम की मृत्यु के कारण उनकी पत्नी एवं पुत्र-पुत्री के नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श डी-8 की ऋण पुस्तिका में विवादग्रस्त भूमि प्रति.क्र.1, 2, 8 एवं मानसिंह, मनीराम की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी, पुत्र-पुत्रियों के नाम पर दर्ज हुई थी। प्रदर्श डी-11 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि सर्वे क्र. 110/9 में से 0.07 हे. एवं 110/3 में से 1.25 हे. भूमि वादी.क्र.1 जयसिंह द्वारा जानू से क़य करने के कारण उसके नाम पर दर्ज हुई थी एवं उक्त संशोधन पंजी में भूमि सर्वे क्र 37/2 में से रकबा 1.50/0.607 हे. भूमि सैलू, चैनू के नाबालिग से बालिग होने के कारण वली माँ का नाम खारिज होकर सैलू, चैनू के नाम पर दर्ज हुई थी, लेकिन प्रदर्श डी-11 में उल्लेखित संशोधन पंजी की भूमि एवं प्रदर्श डी-12 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि वादपत्र में वादग्रस्त भूमि नहीं है।

14. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी-2 के सीमांकन पंचनामा एवं प्रदर्श डी-1 के राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा के सीमांकन प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि भूमि ख.नं. 111 के सीमांकन के पूर्व आवेदक धनसिंह से लगे सीमावर्ती कृषक चिन्तलाल, जयसिंह, मानसिंह, ज्ञानसिंह को सूचनापत्र की तामीली कराई थी एवं ग्राम कोटवार द्वारा उक्त व्यक्तियों को सूचित किये जाने के उपरांत जयसिंह, मानसिंह, ज्ञानसिंह ने सूचनापत्र में हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था एवं उक्त व्यक्ति सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित नहीं हुए थे। आवेदक को उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष भूमि की सीमा से अवगत कराकर सीमा चिन्ह

लगवाया गया था। आवेदित भूमि ख.नं. 111 रकबा 1.416 हे. भूमि में से रकबा 0.580 हे. भूमि पर जयसिंह, ज्ञानसिंह का कब्जा पाया गया था। सीमांकन के पश्चात् उपस्थित ग्रामवासियों के पंचनामा पर हस्ताक्षर हैं, इसके बाद राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा उसके उपरांत सीमांकन प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि के चकबंदी के बाद ख.नं. परिवर्तित होने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण चकबंदी के बाद विवादग्रस्त भूमि का क्या सर्वे नंबर हुआ हो, उसको मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादित भूमि पर उनका नाम भूमि-स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हो। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रदर्श डी-6 के अधिकार अभिलेख से विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति होना माना जाता है एवं प्रदर्श डी-4 के खसरा पांचसाला प्रदर्श डी-7 की संशोधन पंजी एवं प्रदर्श डी-8 की ऋण पुस्तिका से प्रतिवादीगण को विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना जाता है, इस कारण वादीगण का विवादित भूमि पर विधिविरुद्ध कब्जा माना जाता है।

वादप्रश्न क.-6 सहायता एवं व्यय

15. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण की उपरोक्त विवेचना विवादग्रस्त भूमि पुराना ख.नं. 136 वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.50 एकड़ मौजा अहमदपुर, प.ह.नं. 2/5 भूमि के संबंध में प्रति.क-1 लगा. 5 तथा प्रति.क. 7, 8 एवं प्रति.क. 6 के वारसान अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः प्रति.क-1 लगा. 5 तथा प्रति.क. 7, 8 एवं प्रति.क. 6 के वारसान का प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1- यह प्रमाणित माना जाता है कि विवादग्रस्त भूमि पुराना ख.नं. 136 वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.50 एकड़ मौजा अहमदपुर, प.ह.नं. 2/5 भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति होकर, वह उसके स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं।

2- यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि मौजा अहमदपुर, प.ह.नं. 2/5 भूमि पुराना ख.नं. 136 वर्तमान खसरा नंबर 111 रकबा 3.

50 एकड़ भूमि में से 0.580 हे. भूमि पर उनके हिस्से की भूमि पर वादीगण से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

3- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

4- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य० न्याया० वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट